

CNR N0- UPBJ01-008212-2017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय सं०1, बिजनौर।

लघुवाद सं०- 13/2017

जवाहिर हुसैन बनाम अतीक अहमद

14-10-2019

वाद पुकारा गया।

उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी 1/1 ता 1/6 साफिया रिहाना आदि की ओर से प्रार्थनापत्र प्रतिस्थापन ग-40 इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद के वादी जवाहिर हुसैन का देहान्त दि० 19-08-2019 को दौरान वाद हो गया है जिसने अपनी मृत्यु पर विधवा साफिया रिहाना पुत्र मौ० सऊद तथा पुत्रीगण शगुफता कौसर, राहिला कौसर, बुशरा कौसर तथा आयशा कौसर को अपना जायज कानूनी वारिस छोड़ा है। इसलिये उक्त वाद के वादपत्र में संशोधन की अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तदनुसार वाद के वादपत्र में संशोधन की अनुमति चाही है।

प्रतिवादी की ओर से पूर्व तिथि दि० 20-09-2019 को उक्त प्रार्थनापत्र के हाशिये पर आपित्त दाखिल किये जाने हेतु समय की प्रार्थना की गयी है। परन्तु कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी। प्रतिवादी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण/वादीगण 1/1 ता 1/6 साफिया रिहाना आदि की ओर से अपने प्रार्थनापत्र प्रतिस्थापन ग-40 के माध्यम से वादी जवाहिर हुसैन का देहान्त दि० 19-08-2019 को हो जाने के कारण प्रार्थनापत्र के प्रकाश में वादपत्र में संशोधन किये जाने की अनुमति चाही है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र ग-41 मौ० सऊद का दाखिल किया गया है। नैसर्गित न्याय का सिद्धांत है कि पक्षकारों को उचित सुनवाई व पर्याप्त अवसर दिया जाकर वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाये। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जो संशोधन चाहा गया है वह वाद को चलाये जाने के लिये आवश्यक है। अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायहित में वाद के गुण-दोष पर निस्तारण हेतु प्रार्थीगण/वादीगण 1/1 ता 1/6 का प्रार्थनापत्र ग-40 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र ग-40 स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थनापत्र ग-40 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/ वादीगण 1/1 ता 1/6 साफिया रिहाना आदि प्रार्थनापत्र के प्रकाश में संशोधन अन्दर सप्ताह वादपत्र में करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दि० 24-10-2019 को पेश हो।

दि०-14-10-2019

(विनीत कुमार वासवानी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं०1, बिजनौर।